न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/189/2021	2021/458	11.10.2021	26.04.2022

—उनवान—

1. अशोक पुत्र श्री रेवड।
2. ईसर पुत्र श्री कल्याण।
3. धर्मेन्द्र पुत्र श्री रेवड।
4. कल्याण पुत्र श्री रामखिलाडी।
5. देशराज पुत्र श्री रेवड, जातियान मीणा निवासीयान नैथला तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल पुत्र श्री कैलाश।
2. कमलेश पुत्र श्री श्रवण।
3. धनराज पुत्र श्री श्रवण।
4. पिन्टू पुत्र श्री कैलाश।
5. फूलचन्द पुत्र श्री श्रवण।
6. श्री कृष्ण पुत्र श्री श्रवण।
7. भगवती पत्नी श्री कैलाश।
8. रामकरण पुत्र श्री श्रवण, जातियान मीणा निवासीयान नैथला कोठी का बास, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

—असल अप्रार्थीगण

9. रामस्वरूप पुत्र श्री मौजी।
10. रामसिंह पुत्र श्री मौजी।
11. रामहेत पुत्र श्री भब्बड।
12. ओमवती पत्नी श्री भगवान।
13. पूरण पुत्र श्री भगवान।
14. प्रेमसिंह पुत्र श्री भगवान।
15. सुशीला पुत्री भगवान, जातियान जाटव, निवासियान पीली का ढाबा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
16. तहसीलदार भू0 अ0 मालाखेडा।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री गणपत सिंह नरूका

—वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के न्यायालय में विचाराधीन दावा अनिल वगै0 बनाम अशोक वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि मुकदमा वाद अनिल वगै0 बनाम अशोक वगै0 अन्तर्गत धारा 251क आर0टी0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण आए दिन कोर्ट परिसर व गांव में कहते फिरते हैं कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पूरी तरह सांठ—गांठ है। इस वाद को अपने पक्ष में निर्णित करा लेंगे। हमारे द्वारा अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा गया है। अप्रार्थीगण द्वारा एलानिया धमकी दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी कहा गया है कि यह मेरा कार्यक्षेत्र है। किसी के हक में भी फैसला करूं मुझे रोकने वाला कौन है जो मेरी सेवा करेगा उसी के हक में फैसला सुनाऊंगा। हम सेवा चाकरी नहीं कर सकते। इस पर पीठासीन अधिकारी न हमें अपने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। दिनांक 08.01.2020 को

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थीगण की तलबी हुई उसी दिन प्रार्थीगण द्वारा नकल प्राप्त की गई। दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर दस्तावेजों का एतराज दर्ज करवाया किन्तु आदिनांक तक दस्तावेजों की नकल नहीं दिलवाई गई। दस्तावेंजो की नकल उपलब्ध नहीं होने के कारण जबाब दिया जाना सम्भव नही हो सका। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2021 को इक तरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली को वास्ते बहस लगा दिया गया। दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित थे। इसके बावजूद अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहूंचाने की गरज से प्रार्थी की एकतरफा कार्यवाही खोल दी जो पीठासीन अधिकारी की दूषित मानसिकता का परिचायक है। प्रार्थी द्वारा वादपत्र में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश किया गया जिस पर दिनांक 09.02.2021 को बहस सुनी गयी। पीठासीन अधिकारी ने बहस सुनने के 2 माह बाद आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। कानून में साफ है कि बहस सुनने के बाद 15 दिवस में पीठासीन अधिकारी को आदेश पारित करना होता है। उक्त अवधि में आदेश पारित करने में विफल रहने पर पुनः बहस सुना जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण का बेटा एसडीएम कार्यालय में ई–मित्र चलाता है इसलिए उसकी पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत है। जिससे भी निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण के विरूद्ध पेश उक्त मुकदमें को अलवर क्षेत्र के किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को विवादित आराजी हड़पने व तंग, परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर जाने के लिए रास्ते हेतु धारा 251 क का प्रा0पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से कोई साझ–बाझ नहीं की गयी है तथा प्रकरण में निस्तारण हेतु शीघ्र तारीखे भी नहीं लगवायी गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का कथन झूठा व बेबुनियाद है। वकील प्रार्थीगण को दिनांक 08.10.2020 को प्रा0पत्र की नकल उपलब्ध करा दी गयी थी। न्यायालय आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दिनांक से लेकर दिनांक 05.04.2021 तक करीब 15 अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया है। विशेष कथन में उपखण्ड अधिकारी ने निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण सम्मरी ट्रायल का होने के कारण राज्य सरकार के निर्देश एवं राजस्व ग्रुप–6 आदेश दिनांक 02.03.2012 के तहत इस प्रकार के प्रकरणों का अधिकतम 90 दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्राप्त है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा 28 माह से मूल प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रा.पत्र लगाकर पत्रावली के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया है कि पीठासीन अधिकारी नजदीकी तारीख पेशीयां देकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा उक्त कथन के संबंध में ना तो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है और ना ही पत्रावली के अवलोकन से उक्त कथन प्रमाणित होते है। प्रा0पत्र मुंतकिल वाद के निस्तारण में देरी की मंशा से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज, दिनांक 26.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर